

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अवर सचिव

सेवा में,

वित्त (वै०दा०वि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जनवरी, 2026

विषय :- श्रीमती शिवांगी सिंह यादव, सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) के दिनांक-09.09.2025 से 06.10.2025 तक प्रभार रहित अवधि का सेवा विनियमन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-30, दिनांक-07.01.2026 द्वारा श्रीमती शिवांगी सिंह यादव, सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) का प्रभार रहित अवधि को विनियमित किया गया है।

उक्त पत्र के विषय में अंकित 08.09.2025 से दिनांक 06.10.2025 के स्थान पर दिनांक 09.09.2025 से 06.10.2025 तक पढ़ा जाय।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-30, दिनांक-07.01.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्था० राज०-361/2025-

पटना, दिनांक जनवरी, 2026

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्था० राज०-361/2025- 68

पटना, दिनांक 13 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि :- विभागीय लेखा शाखा/श्रीमती शिवांगी सिंह यादव को सहायक निदेशक ईख विकास, भोजपुर (आरा)/श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव।